कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र /बी–1/कनि.सहा/2018/2019 दिनांक 27.06.2020 द्वारा श्री अरविन्द पुत्र श्री राम कुमार मैरिट नम्बर 13617 को बाडमेर जिला आवंटित किया गया था। श्री अरविन्द द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 10489/2020 अरविन्द पुत्र श्री राम कुमार बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.11.2020 के अनुसरण मे याचिकार्थी अरविन्द द्वारा दिनांक 02.12.2020 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनसे कम मैरिट वालो को गृह जिला दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा गृह जिला आवंटन हेतु प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्री अरविन्द द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर व उनकी मैरिट के अनुसार बाडमेर जिला आवंटित किया गया था।

विभाग द्वारा जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र भरवाए गए थे तब हनुमानगढ जिले मे 128 स्थान/रिक्तियां थी। प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु–3/2020पार्ट, जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश–क्रमांक प. 17(3) शिक्षा–2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के निर्देशानुसार ही हनुमानगढ जिले मे सीटो/रिक्तियों का आवंटन निम्न प्रकार किया गया –

विशेष श्रेणी	हनुमानगढ जिले मे रिक्तियो का आवंटन
विकलांग	04
परित्यक्ता	1
एकल महिला	86
पति–पत्नी प्रकरण/कोई एक पूर्व मे राजकीय सेवा मे हो	07
सामान्य महिला	30
अन्य अभ्यर्थी	0
योग	128

श्री अरविन्द की मैरिट से ऊपर की मैरिट वाले अभ्यर्थियो/विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियो से हनुमानगढ जिले की सीटे भर जाने के कारण श्री अरविन्द द्वारा वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियो में से प्राथमिकता अनुसार बाडमेर जिला आवंटित हुआ था जो कि पूर्णतः सही व नियामनुसार है।

किसी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन कि मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकतानुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेक व विभाग की आवश्यकताओं के अधीन है।

कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है। इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने एवं चाहे गए जिले मे रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण एतदनुसार द्वारा दिनांक 02.12.2020 को प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/अरविन्द/10489/2020/14 दिनांक – 29/01/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक शिविरा/मा./विधि/बी–2/जोध/ 29852/एफ/2020/4 दिनांक 21.12.2020 के क्रम में।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को अभ्यावेदन निस्तारण से अवगत करावे।
4. श्री अरविन्द, कनिष्ठ सहायक रामावि खारडा चारणान्, ब्लॉक गिडा, बाडमेर
5. रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर